समाज की सबसे बड़ी त्रासदी–ऐसिड़ अटैक

अंशिका
डब्ल्यू.आई.टी.ए., देहरादून

महिलाओं की स्थिति देख उन्नीसवीं सदी के प्रख्यात समाज सुधारक ईश्वर चंद विद्या सागर चित्कार उठे थे। "अरे महिलाओं आपने क्या पाप कर दिया था, जो आपका जन्म भारत में हुआ"। दो सौ वर्षों या उससे अधिक के समय में क्या महिलाओं के हालात सुधरे हैं। हर 20 मिनट में भारत में एक लड़की के साथ रेप होता है, हर 44 मिनट पर किसी लड़की का अपहरण या उसे भगा लिया जाता है। देश में हर तीसरी महिला पति या उसके रिश्तेदारों के हाथों क्रूरता भरा व्यवहार झेलने पर विवश होती है। हर दिन दहेज के लिए 19 महिलाओं को मौत की नींद सुला दिया जाता है।

यह कैसी विड़म्बना है कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु समस्त कानून बनाने की सिफारिश तो की गयी पर हर स्त्री पर अत्याचार लगभग दो गुने हो गए। आजकल स्त्रियों के प्रति भयावह हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। बाजारीकरण का एक और खामियाज़ा यह है कि बाजार ने औरत को और भी अधिक योग्य बनाया है आज महिला को पडताड़ित करने हेतु एसिड अटैक भी क्रूरतम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। कहते है वक्त का मरहम हर जख्म को भर देता है, पर ऐसिड द्वारा जला जख्म ऐसा होता है कि उनका भर पाना मुश्किल होता है। झुलसा चेहरा, पीड़ित को बार–बार अपमान की याद दिलाता है। इसके बाद दोस्त, रिश्तेदार और परिचित मुंह मोड़ लेते है। सहानुभूति के दो शब्द बोलना तो दूर, लोग तरह–तरह की फब्तियां कसने, चरित्र पर लांछन लगाने और माता–पिता को भला–बुरा कहने से नहीं चुकते। अपराधी तो 7 या 10 वर्ष की सजा के बाद छूट जाएगा, परंतु पीड़ित की जिन्दगी हमेशा के लिए खराब हो जाती है। शादी की तो दूर की बात कोई पीड़िता की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता।

रोजगार

रोजगार के क्षेत्र में काबिल होते हुए भी आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि लोग पीड़िता की शक्ल देखकर ड़र जाएंगे व कुछ लोग कहते है कि हम आप को दोबारा बुलाएंगे या फोन पर सूचना देगें।

चेहरा खोया–हिम्मत नहीं

हताश, निराश, पीड़िता को हर वक्त ऐसा लगता है कि घर के अंधेरे कोने में छिप कर रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब खुद की लड़ाई आगे लड़नी होगी। जब किसी लड़की के साथ यह घटना हो जाती है तो शरीर के साथ मन भी आहत हो जाता है। पीड़िता का कैरियर, सपना, प्यार सब कुछ छिन जाता है। जब तक सख्त कानून नहीं होगा और उसके तहत क्रूर अपराध करने वाले अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक कानून का भय नहीं होगा। पीड़ित महिला सबके सामने नहीं आना चाहती, परिवार वालों में जागरूकता की कमी है। समाज सेवी संस्था को उन्हें हिम्मत देनी चाहिए। समाज सेवी संस्थाएं पीड़िता के परिवार को जागरूक करे कि यदि घर के किसी भी सदस्य पर एसिड़ फेंका गया, वह उसके लिए शर्म की बात नहीं है, बल्कि असली अपराधी तो तेजाब फेंकने वाला है। धीरे–धीरे पीड़िताओं का विश्वास सामने आया व मुख्य धारा से जुड़ती चली गयी।

कारण

- ♣ एसिड अटैक का मुख्य कारण है, ईष्या अर्थात् दूसरे को नीचा दिखाना।
- ♣ विवाहित एवं अविवाहित अपने अधीनस्थ महिला कर्मचारी से सहसंबंध बनाने में नाकाम होने पर ऐसी हरकत करना।
- ♣ नौकरी करते समय एक समूह में से एक या दो सदस्य पर ऐसे अटैक करना।
- ♣ प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में, किसी भी सौन्दर्य प्रतियोगिता में अपने से मेधावी प्रतिभागी को पीछे धकेलने के लिए किराये के गुंडों से ऐसी घटना को अंजाम देना।
- ♣ किसी बड़ी कंपनी में बॉस द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को पदोन्नति या विशेष सुविधा देने पर अन्य अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा व्यक्ति विशेष पर घिनौनी घटना को अंजाम देना।
- ♣ असफल प्रेमी या प्रेमिका द्वारा अपना ही गुस्सा शांत करने हेतु शादी–शुदा प्रेमी–प्रेमिका पर ऐसी शर्मनाक, हरकत को अंजाम देना।
- ♣ कालेज के क्षेत्र में सहसंबंध न बनने व जीवन में दूसरे की दखल अंदाजी बर्दास्त न करने से ऐसी घटना को अंजाम देना।

हर सप्ताह औसतन तीन या चार एसिड अटैक की घटनाएं सुनने में आती है। लेकिन वास्तविक संख्या कहीं अधिक है। इसका सरकारी तौर पर कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। इसमें अधिकतर पीड़ित युवा 15 से 25 वर्ष की महिलाएं/पुरूष हमले के शिकार होते है। इसमें मुख्य महिलाओं के केस में प्यार से इंकार या घरेलू हिंसा है।

घटनाएं

2010 से 2012 के मध्य निम्न घटनाएं घटित हई –

225 तेजाबी हमलें
264 पीड़िताएं
318 पकड़े गए
305 मुकदमा चला
(दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व बिहार)

सुप्रीम कोर्ट

तेजाबी हमले की शिकार महिलाओं के इलाज के लिए और पुनर्वास को लेकर सरकार की उदासीनता पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नराजगी दिखाई है। बिहार की एन.जी.ओ. परिवर्तन केन्द्र की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही अदालत ने केन्द्र व राज्य सरकार को नोटिस भेजा है कि पीड़ितों की मदद करने के लिए व बुनियादी सुधार में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने निम्न आदेशों को पारित किया

- ❖ बिना लाइसेंस तेजाब बेचने पर रोक लगे।
- ❖ लाइसेंस धारी विक्रेता हर ग्राहक का रिकार्ड रखेगा।
- ❖ ग्राहक के पास सरकारी पहचान–पत्र हो।
- ❖ तीन दिनों में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी जाएं।
- ❖ 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तेजाब बेचने पर पाबंदी।

- ❖ पुनर्वास व इलाज पर आदेश।
- ❖ सभी राज्य सरकारें पीड़ितों के इलाज का खर्च उठाएगीं।
- ❖ सभी पीड़ितों को 3 लाख का मुआवजा देगी राज्य सरकार तथा साथ ही एसिड अटैक को पायज़न एक्ट (जहर कानून) को लाकर संज्ञेय व गैर जमानती बनाए (18.07.2013 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश)।

16 दिसंबर की घटना के बाद सरकार ने भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया। अब एसिड अटैक की घटना में 10 वर्ष की सजा और 10 लाख तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। नवंबर 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एसिड अटैक को लिंग आधारित सबसे क्रूरतम हिंसा करार दिया।

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की अबाह तहसील की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दिया। फैसले में एक साल पहले तेजाब डाल कर अपनी शादीशुदा प्रेमिका की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायधीश पी.सी. गुप्ता ने अपने फैसले में आरोपी योगेन्द्र सिंह तोमर, पोरजा निवासी को रूबी गुप्ता पर तेजाब डाल कर हत्या करने के मामले में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। अपराध को जघन्य मानते हुए कहा कि इस गुनाह के लिए आजीवन कारावास की सजा पर्याप्त नहीं है। इसलिए मृत्यु दंड दिया जाता है।

पीड़िताएं

प्रिति – कोलाबा में आर्मी कालेज में नर्स की नौकरी में भर्ती होने जा रही प्रिति राठी के साथ बांद्रा टर्मिनल पर दर्दनाक हादसा हुआ। दिल्ली की रहने वाली प्रिति पर 2 मई, 2013 को आरोपी अंकुर पंवार ने तेजाब फेंक दिया, बाद में प्रिति की मृत्यु हो गयी।

मोनिका – शादी के प्रस्ताव का विरोध करने से हताश युवक ने लखनऊ की मोनिका के चेहरे पर 2005 में तेजाब फेंक दिया। वह दिल्ली के निफ्ट स्कूल में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। 43 से अधिक बार सर्जरी करा चुकी मोनिका में गजब का आत्मविश्वास है। उनकी न्यूयार्क में डिजाइनिंग स्कूल में फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने की इच्छा है।

लक्ष्मी – इंटर नेशनल वूमेन ऑफ करेज अवार्ड जीत चुकी लक्ष्मी के चेहरे पर 2005 में एक युवक ने उस समय तेजाब फेंका, जब उसने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उस समय वह महज 15 साल की थी। चेहरे पर सात बार सर्जनी करा चुकी लक्ष्मी ने तेजाब बिक्री पर रोक के लिए एक जनहित याचिका दायर की थी।

रूपा – नई दिल्ली की रहने वाली 20 वर्षीय रूपा की जिन्दगी तेजाब हमले से तबाह हो गयी। सरकार से कोई मदद नहीं मिली। लक्ष्मी नगर में ही बने पुनर्वास केन्द्र छांव और स्पॉट एसिड अटैक अभियान की मदद से खुद को मानसिक और शारीरिक तौर पर इतना मजबूत बनाया कि इसकी मदद से बुटिक खोलने का प्रयास कर रही है।

हाल में पीड़ितों का मानना है कि कोर्ट का हालिया रूख तो शुरूआत भर है। "एसिड स्वाईवस फाउंडेशन इंडिया" के राष्ट्रीय निदेशक व सी.ई.ओ. राहुल वर्मा कहते है कि ऐसे अपराधों को रोकने में सिस्टम को थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन चीजें सही दिशा में जा रही हैं। लोगों में जागरूकता बढ़ रही हैं। भारतीय दंड संहिता में बदलाव और सुप्रीम कोर्ट के दिशा–निर्देश को मैं सकारात्मक बदलाव के रूप में देख रहा हूं।

आज के इस युग में एसिड अटैक की शिकार महिलाओं को लेकर समाज की सोच में बदलाव आया है। उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है वह भी अपने डर को छोड़कर सामने आ रही हैं। अपनी पहचान जाहिर कर रही हैं व अपने खिलाफ जुल्म के लिए लड़ रही हैं तथा साथ ही आत्मनिर्भता की दिशा में भी कदम बढ़ा रही हैं।

शेक्सपियर इंग्लिश में एम.ए. पास नहीं था, लेकिन अब हर व्यक्ति शेक्सपियर की किताब पढ़े बगैर इंग्लिश में एम.ए. पास नहीं कर सकता। अतः सफलता वहीं है जो आप बनाते हो।